न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–68/2015–16

दुर्गापति देवी वगैरह बनाम राज्य एवं साहेब दयाल वगैरह

Under Section 8 of the Bihar Land Mutaion Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

03/04/18

आदेश

यह पुनरीक्षण वाद दाखिल खारिज अपील वाद सं0 05/2014–15 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के द्वारा दिनांक 18.01.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

इस वाद के पक्षकार इस प्रकार है :–

प्रथम पक्ष :

1. श्रीमती दुर्गापति देवी, पति जयराम प्रसाद, ग्राम–अलीपुर, बड़हरा, थाना–अथमलगोला, जिला–पटना

2. श्रीमती संजना देवी, पति अमरेन्द्र कुमार, ग्राम–नया टोला, राघोपुर, थाना–बख्तियारपुर, जिला–पटना

द्वितीय पक्ष

1. बिहार सरकार

2. श्री साहेब दयाल, पिता स्व0 साधु शरण भगत

3. श्री राधे मोहन भगत, पिता स्व0 संत गुलाम भगत, ग्राम–रानी सराय, थाना–बख्तियारपुर, जिला–पटना

विवादित भूखण्ड का विवरण

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा
1	2	3	4	5	6
बरिक्रयारपुर	माधोपुर	138	250	389	1 कट्ठा 6 धुर

आवेदकगण का कथन

(1) अन्य भूखण्डों के साथ विवादित खेसरा कुल रकबा 3 कट्ठा 18 धुर के मूल मालिक रमन माली थे। रमन माली की

पारिवारिक वंशावली निम्न प्रकार है

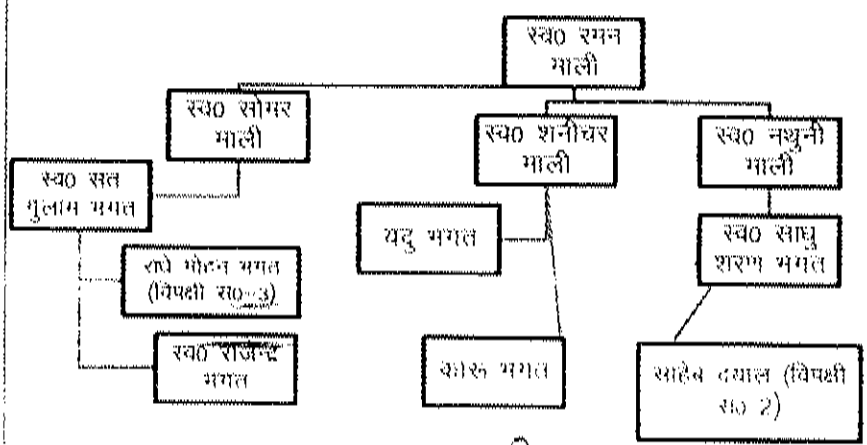

(2) रमन माली की मृत्यु के उपरान्त उनके तीन पुत्रों का आपसी बंटवारा हुआ। अन्य भूखण्ड के साथ विवादित खेसरा 389 के पूर्वी भाग में 1 कठ्ठा 6 धूर नथुनी माली को मिला।

(3) शनीचर माली के द्वारा 16.05.1941 के निबंधित केवाला से अपने हिस्से का कुल भूखण्ड 14 कठ्ठा 13 धूर संत गुलाम भगत एंव नथुनी भगत को बेच दिया गया। इस केवाला से नथुनी भगत को प्रश्नगत खेसरा 389 में 9 धुर मिला। इस प्रकार नथुनी भगत के पास विवादित खेसरा 389 का कुल 1 कठ्ठा 15 धूर रहा।

(4) नथुनी भगत की मृत्यु के उपरान्त विवादित भूखण्ड पर उनके एकमात्र पुत्र साधु शरण भगत दखल में आये तथा साधु शरण भगत की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र साहेब दयाल (विपक्षी सं0–2) दखल में आये।

(5) साहेब दयाल (विपक्षी सं0 2) के द्वारा दिनांक 08.10.2013 के निबंधित केवाला से विवादित खेसरा 389 का 1 कठ्ठा 6 धूर आवेदकगण को बेचा गया। खरीदगी के पश्चात आवेदकगण विवादित भूखण्ड पर शांतिपूर्ण दखल में आये।

(6) खरीदगी के पश्चात आवेदक के द्वारा दाखिल खारिज हेतु अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर को आवेदन दिया गया। दाखिल खारिज वाद सं0 766/2013–14 के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा गलत प्रतिवेदन दिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड पर आवेदकगण का दखल कब्जा नहीं है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के इसी गलत प्रतिवेदन के आधार पर अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर के द्वारा दाखिल खारिज का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया।

(7) अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर के उक्त आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 05/2014–15 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के दिनांक 18.01.2016 के आदेश के द्वारा अपील अस्वीकृत कर दी गयी।

(8) भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 05/14–15 में पारित आदेश को अवैध बताते हुए इसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदकगण के द्वारा निम्न कागजात की छाया प्रति दाखिल की गयी है।

(1) खतियान की प्रति

(2) दिनांक 16.05.1941 का केवाला

(3) दिनांक 08.10.2013 का बिक्रीनामा

(4) द0प्र0सं0 की धारा 144 के अंतर्गत अनुमंडल दण्डाधिकारी, बाढ़ के वाद सं0 947/2013 राधे मोहन भगत बनाम अमरेन्द्र कुमार वगैरह का आदेश

(5) भू–विवाद सं0 21/2014–15 राधे मोहन भगत वगैरह बनाम साहेब दयाल वगैरह का आदेश दिनांक 31.03.2015

(6) द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत अनुमंडल दण्डाधिकारी, बाढ़

के वाद सं0 849/2016 राधे मोहन भगत बनाम अमरेन्द्र कुमार वगैरह का आदेश

विपक्षी सं0 2 श्री साहेब दयाल की तरफ से प्रतिउत्तर दायर करते हुए, आवेदकगण के दावे का समर्थन किया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के आदेश को अवैध बताते हुए पुनरीक्षण आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0 03 श्री राधे मोहन भगत का कथन है कि

(1) विवादित खेसरा सं0 389 कुल रकवा 3 कट्ठा 18 धुर उनके दादा सोमर माली के द्वारा अपनी निजी राशि से क्रय किया गया था। सोमर माली की मृत्यु के उपरान्त उनके एकमात्र पुत्र संत गुलाम भगत विवादित खेसरा पर दखल में आये तथा उनके नाम से जमाबंदी कायम की गयी।

(2) संत गुलाम भगत की मृत्यु के उपरान्त विवादित खेसरा कुल रकवा 3 कट्ठा 18 धुर राधे मोहन भगत (विपक्षी सं0 3) के दखल में है तथा लगान रसीद निर्गत हो रही है।

(3) विवादित भूखण्ड पर साहेब दयाल (विपक्षी सं0 2) का कोई दावा नहीं बनता है। साहेब दयाल के द्वारा आवेदकगण को किया गया, दिनांक 08.10.2013 का केवाला अवैध है। प्रश्नगत भूखण्ड पर आवेदकगण का दखल कब्जा नहीं है।

(4) प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल कब्जा नहीं रहने के कारण अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 766/2013–14 के अन्तर्गत आवेदकगण का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर का आदेश उचित एवं विधि सम्मत है।

(5) अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर के आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 05/2014–15 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के द्वारा अपील अस्वीकृत कर दी गयी।

(6) भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के आदेश को उचित एवं विधि सम्मत बताते हुए, पुनरीक्षण आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0 3 के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) दिनांक 16.07.1913 का केवाला एवं उसका हिन्दी अनुवाद

(2) सर्वे खतियान की प्रति

(3) राधे मोहन भगत के नाम से निर्गत वर्ष 2009–10, 2015–16 एवं 2016–17 की लगान रसीद

(4) भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र

(5) दिनांक 15.11.2010 के दो केवाले

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा लिखित कागजात तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से निम्न तथ्य

सामने आते हैं।

(1) प्रश्नगत भूखण्ड पर उभय पक्ष अपने स्वत्व एवं अधिकार का दावा कर रहे हैं, परन्तु स्वत्व एवं अधिकार का निर्णय इस न्यायालय से नहीं किया जा सकता है।

(2) प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर द0प्र0सं0 की धारा–144 के अन्तर्गत अनुमंडल दण्डाधिकारी, बाढ़ के न्यायालय में वाद दायर किया गया, परन्तु इसे स्वत्व का मामला मानते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी गयी।

(3) प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के न्यायालय में भू–विवाद सं0 21/2014–15 भी दायर किया गया था, परन्तु वहाँ भी वाद को खारिज करते हुए पक्षकारों को सक्षम व्यवहार न्यायालय जाने की सलाह दी गयी।

(4) दाखिल खारिज के लिए वास्तविक दखल–कब्जा सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है। राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूखण्ड पर आवेदकगण का दखल नहीं है। इसी आधार पर अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर के द्वारा दाखिल खारिज का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया तथा दाखिल खारिज अपील वाद में भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के द्वारा अपील अस्वीकृत कर दी गयी।

(5) दाखिल खारिज वाद सं0 766/2013–14 में राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन है कि विवादित भूखण्ड पर आवेदकगण का दखल कब्जा नहीं है, बल्कि विवादित भूखण्ड आपतिकर्ता राधे मोहन भगत के दखल में है। आवेदकगण के द्वारा विवादित भूखण्ड पर अपने दखल कब्जा के संबंध में कोई साक्ष्य/प्रमाण इस न्यायालय में भी समर्पित नहीं किया गया।

(6) पुनरीक्षण वाद में इस न्यायालय को यह देखना है कि निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है अथवा नहीं। प्रश्नगत मामले में भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नही होती।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निर्णय पर पहुँचता हूँ कि दाखिल खारिज अपील वाद सं0 05/2014–15 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के द्वारा दिनांक 18.01.2016 को पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। संबंधित पक्षकार विवादित भूखण्ड पर स्वत्व एवं अधिकार की घोषणा हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।

पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

3/5/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्ता,पटना

3/5/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्ता,पटना